



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2579]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 6, 2017/भाद्र 15, 1939

No. 2579]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 6, 2017/BHADRA 15, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2017

का.आ. 2940(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए, प्रकाशित की जाती है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पर: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

और, अदीचुंचनागिरी मयूर अभ्यारण्य (88.40 हेक्टेयर) कर्नाटक राज्य के मण्डया जिला के नगामंगला तालुक में और उत्तर अक्षांश $13^{\circ} 01.215'$ से $76^{\circ} 44.990'$ उ और पूर्व देशांतर $13^{\circ} 0.640'$ से $76^{\circ} 45.049' \text{पू}$ के बीच स्थित है। अदीचुंचनागिरी मयूर अभ्यारण्य इस सदी की शुरुआत के बाद से तीर्थ और शैक्षणिक केंद्र रहा है। अदीचुंचनागिरी मयूर अभ्यारण्य क्षेत्र को घोषित करने की पहली अधिसूचना, 1981 में जारी की गई थी और बाद में, अंतिम अधिसूचना 1999 में जारी की गई थी।

और, यह अभ्यारण्य चुंचनागिरी मंदिर के निकट और मण्डया जिला के नगामंगला तालुक में तीर्थ केन्द्र में स्थित है। अदीचुंचनागिरी एक विशिष्ट अंतर्देशीय दक्षिण भारतीय पहाड़ी है, जो विभिन्न आकारों के बड़े पत्थर के ऊपर विशाल टोर के आकार के होते हैं। अदीचुंचनागिरी में मयूर की अच्छी जनसंख्या पाई जाती है।

अभ्यारण्य की सीमा के चारों ओर 7 ग्राम हैं और स्थानीय किसानों के स्वामित्व द्वारा कृषि भूमि और नारियल के बागानों से घिरा है, अभ्यारण्य के किनारे पर मवेशी चराई सामान्य हैं। लगभग 50,000 से 75,000 तीर्थयात्रियों को उत्सव के अवसरों पर प्रार्थना सभाओं में अदीचुंचनागिरी मुक्ता के लिए जाना जाता है।

और, क्योंकि अभ्यारण्य छोटा है, पर्यटन विकास के लिए बहुत अधिक संभावना नहीं है। अभ्यारण्य बैंगलोर-मैंगलोर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 के नजदीक है और प्रसिद्ध अदीचुंचनागिरी मंदिर और तीर्थ केन्द्र के निकटम है। जैसे, बहुत से भक्त और तीर्थयात्री इस क्षेत्र की यात्रा करते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए लहरदार भूभाग, चट्टानी पहाड़ी और विभिन्न प्रकार की विशाल अवसर प्रदान करते हैं।

और, अदीचुंचनागिरी और निकटवर्ती पहाड़ियां और 1 किलोमीटर की त्रिज्या के अंतर्गत पहाड़ी श्रेणी मयूर केन्द्र है। यद्यपि अन्य पहाड़ियों पर रहने वाले आवास, हादिनाकल्लुबेट्टा और रामासगारा राज्य वन और मदेश्वरा पहाड़ी में रहने वाले मयूर की घटना के लिए प्रेरक हैं, यहाँ प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं। यह इंगित करता है कि अदीचुंचनागिरी में मियासी प्रभाव में आवादी से संबंधित होती है, मुख्य रूप से एक गहन धार्मिक भावना के अनुसार उत्कृष्ट संरक्षण के कारण जीवित रहती है और उनके शिष्यों ने यह प्रचार किया।

और, अभ्यारण्य में कुछ स्तनधारी प्रजातियां पाई जाती हैं, अभ्यारण्य में पक्षी जनसंख्या समृद्ध है। कर्नाटक के अंतर्देशीय पहाड़ियों के विशेष में 99 अभिलिखित पक्षियों की प्रजातियों में से 25 प्रजातियां हैं। लगभग 15 आवासी जलीय पक्षी भी अभिलिखित हैं। शेष पक्षी खुली झाड़ी में आवास करते हैं जो यद्यपि स्वस्थ राज्य में विकृद्ध है। आसपास के क्षेत्र के टैंकों को भी बंद किया जा सकता है और कृत्रिम द्वीपों पर उक्त पौधे उगाए जा सकते हैं। अभ्यारण्य में पक्षियों की 99 प्रजातियां, सरीसृपों की 8 प्रजातियां, तितलियों की 32 प्रजातियां, उभयचरों की 4 प्रजातियां अभिलिखित की गई हैं।

स्तनधारी: लघु पुच्छ वानर, श्री-स्टरीप्ड पालम गिलहरी, पिपिस्ट्रेल्ले, फ्लाइंग भेड़िया, बनबिलाव, ब्लैक नेप्ड खरगोश, आदि।

पक्षी: अभ्यारण्य में येलो श्रोटेड बुलबुल, व्हाइट विंगड ब्लैक टिट, लिटिल ग्रेबे, ग्रे पेलिकन, ग्रे बगुला, तालाब बगुला, कैटल सफेद बगुला, सफेद बगुला अभिलिखित की गई हैं।

सरीसृप: अभ्यारण्य में स्पेक्टेलेड कोबरा, साँप, स्किंक ब्रात्सिनी स्किक, फैनश्रोटेड छिपकली, सामान्य गार्डेन छिपकली, प्रायद्वीपीय रॉक अगमा दीमेट हिल गिक्को, दक्षिणी हाउस गीको, आदि अभिलिखित की गई हैं।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में अदिचुंचनागिरी मयूर अभयारण्य, की सीमा 0 से 3.35 किलोमीटर के क्षेत्र को अदिचुंचनागिरी मयूर अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाएं:-

क) अदीचुंचनागिरी मयूर अभयारण्य कर्नाटक राज्य के मण्डया जिला के नगामंगला तालुक में और उत्तर अक्षांश $13^{\circ} 01.215'$ से $76^{\circ} 44.990'$ उ और पूर्व देशांतर $13^{\circ} 0.640'$ से $76^{\circ} 45.049'पू$ के बीच स्थित है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाएं उपाबंध-I के रूप में उपाबद्ध हैं।

ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-मण्डलीय स्थिति प्रणाली बिंदु और मानचित्र उपाबंध-II और उपाबंध-III के रूप में उपाबद्ध हैं।

ग) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शून्य से 3.35 किलोमीटर तक फैला है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भौगोलिक क्षेत्र 4.550 वर्ग किलोमीटर में आच्छादित है जिसमें 7 ग्राम शामिल हैं। ग्रामों की सूची उपाबंध-IV के रूप में उपाबद्ध है।

घ) शून्य के लिए कारण : अदीचुंचनागिरी मयूर अभयारण्य का अभयारण्य भाग अनुसूची-क और अनुसूची-ख में विभाजित है और श्री. बालागंगाधरनाथा स्वामी मुत्त के द्वारा क्षेत्र को दो खण्डों में विकसित किया और अभयारण्य का उत्तरी और दक्षिणी और पूर्वी भाग के कुछ भाग अनुसूची-क खण्ड में हैं और उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग के कुछ भाग अनुसूची-ख खण्ड में हैं। इसलिए, इन भागों में अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई 'शून्य' प्रस्तावित की गई है क्योंकि इन क्षेत्रों को पहले से ही विकसित किया गया है।

ङ) पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के अंतर्गत विधि स्थिति की भूमि निजी भूमियां हैं। इसमें मुख्यतः कृषि, बागवानी कृषि भूमि एवं ग्राम आवासीय क्षेत्र शामिल हैं।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना ऐसी रीति जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक संबंधी बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात् :--

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि और बागवानी ;

- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन सहित पारिस्थितिकी पर्यटन ;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिक और ग्रामीण विकास;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूल हो का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यक्तन करेगी। इस योजना के मानचित्र के साथ विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं का विवरण संलग्न होगा।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगी तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिक अनुकूल विकास सुनिश्चित करेगी तथा संवर्धित करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह विस्तारी होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कृत्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग** – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या वृहद आवासीय काम्पलैक्स औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

(ख) परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस

अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;
 - (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
 - (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
 - (iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख-सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन में सहायक हैं जिसमें ग्रह वास सम्मिलित हैं, और
 - (v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा 4 के अधीन दिया गया है:
- (ग) परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों के अधीन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:
- (घ) परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में प्रकट होने वाली कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।
- (ङ.) परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(च) वनरोपण और वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों वाले अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** - आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलसरणी की पहचान की जाएगी और उसमें उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन** – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

- (i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक

नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन मार्गदर्शी सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा।

(iii) जब तक आंचलिक महायोजना का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है जब तक पर्यटन संबंधी विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार मानीटरी समिति के वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा सिफारिश के आधार पर सम्बंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के भीतर कोई नया होटल /रिसार्ट और वाणिज्यिक स्थापन का संन्विर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाता है।

(4) **नैसर्गिक विरासत** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, धाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण के लिए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों 2000 के अनुसार किया जाएगा। पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अधीन बनाए गए।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** -- ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा--

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(ख) पहचानी गई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन सुरक्षित पर्यावरणीय ठोस प्रबंधन से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पहचानी गई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन सुरक्षित पर्यावरणीय ठोस प्रबंधन से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन:** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन:** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन:** - परिवहन की यानीय संचलन आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय संचलन के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** यान प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार की जाएगी और स्वच्छक ईथन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां:** - (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किन्हीं नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में सिर्फ गैर- केवल अप्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना को वर्गीकरण के अनुसार अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो। इसके अलावा, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रतिपिद्ध किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण:** - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित किया जाएगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(18) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि यह आवश्यक समझती है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेगा।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और बहुत खनिज), पत्थर की खाने और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है; (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोविंदरामन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के कठोर अनुसरण का प्रचालन होगा।
2.	उद्योगों की स्थापना जिसके अंतर्गत (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) प्रदूषण कारित करने वाले नए तेल और गैस खोज उद्योग भी है।	कोई नया उद्योग या पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में सिर्फ गैर-प्रदूषित उद्योगों को स्थापना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो।
3.	नई बहुत ताप और जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्वाव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

ख. विनियमित क्रियाकलाप	
8.	<p>होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।</p> <p>पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी लघु अस्थायी संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे, अन्यथा नहीं।</p> <p>परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी भी नए वाणिज्यिक होटल एवं रिसोर्टों को ही अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं।</p>
9.	<p>फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुकुट फार्मों की स्थापना।</p> <p>लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।</p>
10.	<p>जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।</p> <p>लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।</p>
11.	<p>पोलिथीन बैगों का उपयोग।</p> <p>लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।</p>
12.	<p>संनिर्माण क्रियाकलाप।</p> <p>(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:</p> <p>परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवास्यों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी।</p> <p>(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;</p> <p>(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;</p> <p>(iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार परिभाषित गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योग;</p> <p>(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में जिस में ग्रह वास भी है सहायक हो; और</p> <p>(v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध संवर्धित क्रियाकलापों की सूची :</p>

		(ख) परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ग) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।
13.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कोई कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपर्युक्त के अनुसार विनियमित होगी।
15.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
16.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल विद्युतान्वयन और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबल विद्युतान्वयन को बढ़ावा दिया जाएगा।
17.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों नियमों और विनियमों मार्गी सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, और उपलब्ध किए जाएंगे।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संन्निर्माण।	लागू विधियों नियमों और विनियमों मार्गी सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, और उपलब्ध किए जाएंगे।
19.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप करना जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
21.	रात्रि में यानीय यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
22.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियों, दुग्ध उत्पादन जल कृषि	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

	और मत्स्य पालन।	
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्वाव का निस्सारण।	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्वाव का निस्सारण जल निकायों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे और उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्वावों का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार अधीन किया जाएगा।
24.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	खुले कुआं, बोर कुआं, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग।	विनियमित और समुचित प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/ जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

ग. संवर्धित क्रियाकलाप

30.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है।
35.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी प्रभावी के लिए मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

- I. क्षेत्रीय आयुक्त, मैसूर क्षेत्र, मैसूर –अध्यक्ष;
- II. विधान सभा के सदस्य, नगामंगला –सदस्य;
- III. पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि –सदस्य;
- IV. शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि –सदस्य;

- V. प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक प्रतिनिधि –सदस्य;
- VI. थेट्रीय अधिकारी, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मैसूर —सदस्य;
- VII. कर्नाटक राज्य द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला पारिस्थितिकी और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ—
सदस्य;
- VIII. उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि मण्डया जिला, मण्डया —सदस्य;
- IX. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, मण्डया —सदस्य;
- X. कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता का विशेषज्ञ — सदस्य;
- XI. उप वन संरक्षक, वन्यजीव अभ्यारण्य, मैसूर —सदस्य सचिव।

6. निर्देश निबंधन.—(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपाबंध का अनुपालन निगरानी समिति करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष एवं राज्य सरकार द्वारा नई समिति गठन के लिए होगा।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राथिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर संबद्ध पार्क उपवन संरक्षक का ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पण्डारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्यवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध V में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(9) इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

7. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए होंगे।

[फा. सं. 25/27/2017-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपबंध-I

अदीचुंचनागिरी मयूर अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

अनुसूची-क

उत्तर:	सीमा रेखा चुनचुनाहल्ली पलया (255 मीटर पूर्वी दिशा में राज्य राज मार्ग सड़क-19 से) के त्रिजंकशन सड़क बिंदु से आरंभ होती है। इसके बाद रेखा चुनचुनाहल्ली पलया-अदीचुंचनागिरी गिरी मुत्त सड़के के साथ पूर्वी दिशा की ओर मुड़कर और निर्देशांक उ: 13°01.488 पू: 76°44.717 पहुँचती है।
पूर्व:	बिंदु के ऊपर से रेखा अदीचुंचनागिरी गिरी मुत्त सड़क से दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर और त्रिजंकशन सड़क बिंदु के निर्देशांक उ: 13°01.287 पू: 76°44.757 पहुँचती है।
दक्षिण:	त्रिजंकशन सड़क बिंदु के ऊपर से रेखा अदीचुंचनागिरी गिरी मुत्त सड़क से पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर और चुनचुनाहल्ली पलया-अदीचुंचनागिरी गिरी मुत्त सड़क के त्रिजंकशन सड़क बिंदु के निर्देशांक उ: 13°01.275 पू: 76°44.375 पहुँचती है।
पश्चिम:	बिंदु के ऊपर से रेखा सड़क के साथ उत्तर दिशा की ओर मुड़कर और आरंभिक बिंदु पहुँचती है।


अनुसूची -ख

उत्तर:	सीमा रेखा से चुनचुनाहल्ली ग्राम, हेमावथी चैनल के उत्तर पश्चिम बिंदु के साथ जीपीएस निर्देशांक उ: 13 00.864 पू: 76.44.358 से आरंभ होती है और इसके बाद रेखा चैनल के साथ उत्तर पूर्व से होते हुए जाती है और इसके बाद मार्ग के साथ उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर और अभयारण्य के डी रेखा को छूती है और इसके बाद निर्देशांक उ: 13°01.224 पू: 76°44.979 उत्तर दिशा की ओर मुड़ती है।
---------------	--

	इसके बाद रेखा चुनचुनाहल्ली-ब्यालादाकेरे मुड सङ्क के साथ उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुडकर और सङ्क बलायादाकेरे ग्राम के त्रि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है।
पूर्व:	बिंदु के ऊपर से रेखा ब्यालादाकेरे-बनानाहल्ली एसफाल्टेड सङ्क के साथ दक्षिण दिशा की ओर मुडकर और निर्देशांक उ: 13°00.152 पू: 76°45.617 पहुँचती है और इसके बाद रेखा ब्यालादाकेरे-करीजेरेनहाल एसफाल्टेड सङ्क के साथ दक्षिण दिशा की ओर मुडकर और हेमावथी चैनल को छूती है।
दक्षिण:	पारिस्थितिकी संवेदी जोन रेखा हेमावती चैनल सङ्क के साथ पश्चिम दिशा की ओर मुडकर और उत्तर दिशा में मुडकर अबमलाजीरनाहल्ली ग्राम की पश्चिमी सीमा के निर्देशांक उ: 12°59.768 पू: 76°44.931 पहुँचती है।
पश्चिम:	इसके बाद रेखा हेमावथी चैनल सङ्क के साथ उत्तर दिशा की ओर मुडकर और निर्देशांक उ: 13°00.435 पू: 76°44.887 पहुँचती है और इसके बाद रेखा पुनः हेमावथी चैनल सङ्क के साथ उत्तर दिशा की ओर मुडकर, इसके बाद रेखा हेमावथी चैनल सङ्क के साथ पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा की ओर मुडती है और आरंभिक बिंदु पहुँचती है।

उपांचंद-II

अदिचुंचनागिरी मयूर अभ्यारण्य, कर्नाटक के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

उपांचंद-III

अदिचुंचनागिरी मयूर अभ्यारण्य सीमा के मुख्य अवस्थानों (भू मण्डलीय स्थिति प्रणाली बिंदु) के निर्देशांक

मानचित्र का स्थान	अक्षांश (दशमलव डिग्री)	देशांतर (दशमलव डिग्री)
I	अनुसूची - क	
1	13.024194	76.743045
2	13.024684	76.745170
3	13.022991	76.745507
4	13.021656	76.744589
5	13.021748	76.742884
II	अनुसूची - ख	
1	13.017115°	76.748162°
2	13.018551°	76.754276°
3	13.012812°	76.756667°

4	13.010145°	76.749098°
5	13.013695°	76.744594°

पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा के मुख्य अवस्थानों (भू मण्डलीय स्थिति प्रणाली बिंदु) के निर्देशांक

अनुसूची-क

मानचित्र आई.डी	अक्षांश (डिग्री दशमलव मिनट)	देशांतर (डिग्री दशमलव मिनट)
1	13°01.572	76°44.495
2	13°01.488	76°44.717
3	13°01.287	76°44.757
4	13°01.275	76°44.375

अनुसूची -ख

मानचित्र आई.डी	अक्षांश (डिग्री दशमलव मिनट)	देशांतर (डिग्री दशमलव मिनट)
1	13° 00.864	76°44.358
2	13°01.224	76°44.979
3	13°01.013	76°45.947
4	13°00.152	76°45.617
5	12°59.647	76°45.299
6	12°59.768	76°44.931
7	13°00.435	76°44.887

उपांबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन में ग्रामों की सूची:

मानचित्र आई.डी	ग्राम का नाम	तालुक का नाम	प्रत्येक ग्राम का विस्तार हेक्टेयर में	अक्षांश (डिग्री दशमलव)	देशांतर (डिग्री दशमलव)	टिप्पणी याँ
1	चुनचुनाहल्ली	नगामंगला	67.028	13.017110°	76.7424	आंशिक ग्राम सीमा

					54°	
2	ब्यालादाकेरे	नगामंगला	103.600	13.017387°	76.7591 57°	आंशिक ग्राम सीमा
3	यालाचीकेरे	नगामंगला	77.529	13.001508°	76.7538 63°	आंशिक ग्राम सीमा
4	बनानाहल्ली	नगामंगला	140.330	13.001281°	76.7594 13°	आंशिक ग्राम सीमा
5	अबमलाजीरना हल्ली	नगामंगला	32.850	12.997450°	76.7520 17°	आंशिक ग्राम सीमा
6	लक्ष्मीपुरा	नगामंगला	33.510	12.995116°	76.7560 71°	आंशिक ग्राम सीमा
7	करीजेरेनहाल	नगामंगला	0.190	12.998101°	76.7585 44°	आंशिक ग्राम सीमा
	कुल		455.037			

उपांबंध V**पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान**

1. बैठकों की संख्या और तिथि।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।

3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए व्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाधात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । व्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाधात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । व्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2017

S.O. 2940(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHERE AS, the Adichunchanagiri Peacock Sanctuary (88.40 Ha) is situated in Nagamangala Taluk of Mandya district of Karnataka State and lies between the North Latitudes 13° 01.215' to 76° 44.990' N and longitudinal range 13°0.640' to 76° 45.049'E. The Adichunchanagiri Peacock Sanctuary has been a pilgrimage and educational centre since the beginning of this century. The first notification to declare the area as Adichunchanagiri Peacock Sanctuary was issued in 1981 and subsequently, final notification was issued in 1999.

AND WHERE AS, this sanctuary is situated near Chunchanagiri Temple and Pilgrimage centre in Nagamangala Taluk of Mandya District. Adichunchanagiri is a typical inland South Indian Hill characterised by giant tors heaped upon by boulders of various sizes.. There is a good population of pea fowls found in Adichunchanagiri.

The sanctuary has 07 villages around its boundary and surrounded by agricultural lands and coconut plantations owned by local farmers, Cattle grazing on the fringes of the sanctuary are common. About 50,000 to 75,000 pilgrims are known to attend prayer meetings on festive occasions to the Adichunchanagiri Mutta .

AND WHERE AS, since the sanctuary is small, there is not much scope for tourism development. The sanctuary is close to Bangalore-Mangalore National High Way No.48 and is adjacent to the famous Adichunchanagiri Temple and pilgrimage centre. As such, lot of devotees and pilgrims visit the area. The undulating terrain, rocky hillocks and wide variety of Flora & Fauna offer ample opportunity to nature lovers.

AND WHERE AS, Adichunchanagiri and the adjacent hills & hill ranges within a radius of 1 Km is the stronghold of the peafowl. Though the habitat on other hills namely Haddinakallubetta and those in Ramasagara State Forest and Madeshwara Hill appear to be conducive for the occurrence of peafowl, the species is not found there. This

indicates that the peafowl at Adichunchanagiri in effect belongs to a population surviving mainly due to the excellent protection accorded by way of a strong religious sentiment maintained and preached by the Swamiji and his disciples.

AND WHERE AS, though very few mammal species are found in the sanctuary, the sanctuary is rich in bird population. of the 99 recorded species of birds about 25 species are peculiar to the inland hills of Karnataka. About 15 resident water birds also have been recorded. Rest of the birds are those that frequent in open scrub habitat which though disturbed is still in healthy state. The tanks of surrounding area can also be desilted and suitable plants can be grown on artificial islands. 99 species of birds, 8 species of reptiles, 32 species of butterflies, 4 species of amphibians have been recorded in the sanctuary.

Mammals: Bonnet Macaque, Three-striped palm squirrel, Pipistrelle, Flying Fox, Jungle cat, Black naped Hare etc.

Birds: Yellow throated Bulbul, White winged Black Tit, Little Grebe, Grey Pelican, Grey Heron, Pond Heron, Cattle Egret, Egrets have been recorded in the sanctuary.

Reptiles: Spectacled Cobra, Snake, Skink Brahminy Skink, Fanthroated Lizard, Common Garden Lizard, Peninsular Rock Agama TermiteHill ecko, Southern House Gecko etc., have been recorded in the sanctuary.

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varying from zero to 3.35 kilo meters around the boundary of Adichunchanagiri Peacock Sanctuary in the State of Karnataka as the Adichunchanagiri Peacock Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Boundaries of Eco Sensitive Zone**

- The Adichunchanagiri Peacock Sanctuary is situated in Nagamanagala Taluk of Mandya districts of Karnataka State and lies between the between the North Latitudes North Latitudes N 13° 01.215' to 76° 44.990' and East longitudes E 13°0.640' to 76° 45.049'. The boundaries of the said eco sensitive zone are appended at **Annexure-I**
- The map and boundary Global Positioning System points of the said eco sensitive zone are appended at **Annexure-II and III respectively**.
- The extent of the Eco sensitive zone varied from zero to 3.35 kilo meters. The eco sensitive zone covers a geographical area of 4.550 sq. kms which includes 7 villages. The list of villages appended at **Annexure-IV**.
- Justification for zero: The Sanctuary portions of the Adichunchanagiri Peacock Sanctuary is divided into Schedule- A and Schedule – B and the areas between these two blocks are already been developed by Sri. Balagangadharanatha Swamy Mutt and its premises extending towards some portion of the Northern and Southern parts and Eastern parts of Schedule – A Block and some portion of the North and North-western portion of the Schedule – B block of the Sanctuary. Hence, in these portions of the Sanctuary ‘Zero’ ESZ width has been proposed as these areas have already been developed.
- The legal status of land inside the Eco-sensitive Zone area are Private Lands. It mainly includes Agricultural, Horticultural fields & Village residential areas.

2. **Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-**

- The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.
- The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

- Environment,
- Forest and Wildlife,
- Agriculture & Horticulture,
- Revenue,
- Urban Development,
- Tourism including eco-tourism,
- Rural Development,

- viii. Irrigation and Flood Control,
- ix. Municipal and urban development
- x. Panchayati Raj
- xi. Public Works Department,

4. The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

5. The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

6. The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

7. The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

8. The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

9. The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.-

The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

1. Landuse:

- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.
- (b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:
 - i. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
 - ii. Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
 - iii. Small scale industries not causing pollution;
 - iv. Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
 - v. Promoted activities and given under para 4.
- (c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):
- (d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change;
- (e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.
- (f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

2. Natural water bodies: The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

3. Tourism/ Eco-tourism:

- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
 - (i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.
 - (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;
 - (iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

4. Natural Heritage: All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

5. Man-made heritage sites: Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

6. Noise pollution: Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

7. Air pollution: Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

8. Discharge of effluents: Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

9. Solid wastes: Disposal and Management of solid wastes shall be as under:–

- (a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

10. Bio-medical waste: Bio medical waste management shall be as under:

- (a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

11. Plastic Waste Management: The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

12. Construction and Demolition Waste Management: The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

13. E-waste: The E-Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

14. Vehicular traffic: The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

15. Vehicular Pollution: Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

16. Industrial Units: (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

17. Protection of Hill Slopes: The protection of hill slopes shall be as under:

- (a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.
- (b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

18. The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining	<p>(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities.</p> <p>(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.</p>
2.	Setting of industries including new oil and gas exploration causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.)	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

3.	Establishment of major thermal and major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws

B. Regulated Activities

8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
10.	Commercial use of fire wood	Regulated under applicable laws.
11.	Use of plastic bags	Regulated under applicable laws.
12.	Construction activities	<p>(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:</p> <p>(g) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. <p>(b) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>

13.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
14.	Felling of Trees	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
15.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
17.	Infrastructure including civic amenities	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law
20.	Protection of Hill Slopes and river banks	Regulated under applicable laws
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
23.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water	Regulated under applicable law.
25.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
26.	Solid Waste Management/Bio-medical Waste Management	Regulated under applicable laws
27.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
28.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws
29.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.

C. Promoted Activities

30.	Rain water harvesting	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
35.	Agro-Forestry	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat	Shall be actively promoted.
39.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

- I. The Regional Commissioner, Mysuru Region , Mysuru –Chairman.
- II. Member of Legislative Assembly –Nagamangala –Member
- III. Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka – Member.
- IV. Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka – Member.
- V. Representative of Non-governmental Organization working in the field of Nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Govt. of Karnataka - Member.
- VI. The Regional Officer, Mysore, Karnataka State Pollution Control Board – Member.
- VII. One expert in Ecology from reputed institution or university of the State of Karnataka to be nominated by the Govt. of Karnataka - Member.
- VIII. Deputy Commissioner or his representative Mandya District, Mandya– Member.
- IX. The Chief Executive Officer, Zilla Panchayath, Mandya- Member.
- X. Biodiversity expert to be nominated by Govt. of Karnataka - Member.
- XI. The Deputy Conservator of Forests, Wildlife Division, Mysore - Member Secretary.

6. Terms of Reference.-

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (2) The tenure of the Committee shall be three years or till the constitution of the new committee by the state Govt.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the table under paragraph 4

thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
 - (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned work in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per performa appended at **Annexure V**.
 - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
 - (9) The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
7. The provisions of this notification are subject to the orders, if any, passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/27/2017-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'


ANNEXURE-I

Boundary description of the eco-sensitive zone around Adichunchangiri Peacock Sanctuary

Schedule-A

North:	The boundary line starting from the tri-junction road point of chunchanahally playa (255 mtr. From State highway road -19 east direction). Then line moving towards east directions along the chunchanahallypalya – Adichunchanagiri.Giri. Mutt road and reaches the co-ordinate N: 13°01.488 E: 76°44.717 .
East:	From the above point the line moving towards south direction A.C.Giri Mutt road and reaches the co-ordinate N: 13°01.287 E: 76°44.757 at tri-junction road point .
South:	Form the above tri-junction road point the line turns towards west direction along A.C.Giri Mutt road and reaches the co-ordinate N: 13°01.275 E: 76°44.375 at road trijunction point at Chunchanhally – Adichunchanagiri.Giri mutt road .
West:	From the above point the line turns towards north direction along the road and reaches the starting point.
Schedule-B North:	The Boundary line starts from a North-west point at Chunchanhally village, Hemavathi channel turning point with GPS coordinates N: 13 00.864 E:76.44.358 and then the line passes north-east along the channel and then turns north –east along the pathway and touches the D line of Sanctuary and the turns towards north direction co-ordinate No : N: 13°01.224 E: 76°44.979 then line moving towards north east direction along the Chunchnahally-Byaladakere mud road and reaches the roads tri-junction point at Balayadakere village .
East:	From the above point the line turns towards south directions along the Byaladakere- Bananahally asphalted road and reaches the co-ordinate N: 13°00.152 E: 76°45.617 and then line moving towards south direction along Byaladakere- Karijeranhall asphalted road and touches the Hemavathi channel.

South:	The Eco-sensitive zone line turns towards west direction along the Hemavathi channel road and turns north direction reaches the co-ordinate N: $12^{\circ}59.768$ E: $76^{\circ}44.931$ at Abmlajeernahally village western boundary.
West:	Then the line turns towards north direction along the Hemavathi channel road and reaches the co-ordinate N: $13^{\circ}00.435$ E: $76^{\circ}44.887$ and then the line again moves north direction along the Hemavathi channel road, then line turn west direction , south direction and north direction along the Hemavathi Channel road and reaches the starting point .

Annexure-II**Map of Eco-sensitive Zone of Adichunchunagiri WLS, Karnataka**

ANNEXURE-III

Co-ordinates readings of key locations (Global Positioning System Points) on the Adichunchanagiri Peacock Sanctuary boundary

Location on the Map		Latitude (Decimal degrees)	Longitude (Decimal degrees)
I		Schedule -A	
1		13.024194	76.743045
2		13.024684	76.745170
3		13.022991	76.745507
4		13.021656	76.744589
5		13.021748	76.742884
II		Schedule-B	
1		13.017115°	76.748162°
2		13.018551°	76.754276°
3		13.012812°	76.756667°
4		13.010145°	76.749098°
5		13.013695°	76.744594°

GPS readings of key locations (Global Positioning System Points) on the eco-sensitive zone boundary.***Schedule-A***

Map id	Latitude (Degree Decimal Minutes)	Longitude (Degree Decimal Minutes)
1	13°01.572	76°44.495
2	13°01.488	76°44.717
3	13°01.287	76°44.757
4	13°01.275	76°44.375

Schedule-B

Map id	Latitude (Degree Decimal Minutes)	Longitude (Degree Decimal Minutes)
1	13°00.864	76°44.358
2	13°01.224	76°44.979
3	13°01.013	76°45.947
4	13°00.152	76°45.617
5	12°59.647	76°45.299
6	12°59.768	76°44.931
7	13°00.435	76°44.887

Annexure-IV**List of villages falling in the Eco-sensitive Zone:**

Map ID	Name of the Village	Name of the Taluk	Extent of each Village in ha	Latitude (Degree Decimal)	Longitude (Degree Decimal)	Remarks
1	Chunchahalli	Nagamangala	67.028	13.017110°	76.742454°	Partial village boundary

2	Byaladakere	Nagamangala	103.600	13.017387°	76.759157°	Partial village boundary
3	Yalachikere	Nagamangala	77.529	13.001508°	76.753863°	Partial village boundary
4	Bananahalli	Nagamangala	140.330	13.001281°	76.759413°	Partial village boundary
5	Ambaljeerahall i	Nagamangala	32.850	12.997450°	76.752017°	Partial village boundary
6	Laxmipura	Nagamangala	33.510	12.995116°	76.756071°	Partial village boundary
7	Karijeeranahall i	Nagamangala	0.190	12.998101°	76.758544°	Partial village boundary
		Total	455.037			

ANNEXURE-V**Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of Meetings:
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan:
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record : Details may be attached as Annexure:
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure:
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure:
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance: